राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : — अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :— 252/2024

दायर तारीख 30/07/2022

अनवान

1. अनिता पुत्री कालु रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. अरविन्द पुत्र कालु रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
3. कजोडी पुत्री केसू रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
4. कमली पुत्री नारायण रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
5. गीता देवी पत्नि स्व0 शम्भु रेगर जाति रेंगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
6. जगदीश पुत्र धन्ना रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
7. टेका पुत्र नारायण रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
8. टीना पुत्री कालु रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
9. नंदू बाई पत्नि केसू रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
10. पन्ना लाल पुत्र केसू रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
11. पन्नी पत्नि नारायण रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0 (मृतक) के **विधिक वारिसान**
    - 11.1 कमली पुत्र नारायण रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
    - 11.2 टेका पुत्र नारायण रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
    - 11.3 शंकर पुत्र नारायण रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
    - 11.4 होक्मा पुत्र नारायण रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
12. फुलचन्द पुत्र धन्ना रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
13. मनीषा पुत्री कालु रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
14. रतन लाल रेगर पुत्र शम्भु रेगर जाति रंगर उम्र वयस्क निवासी जाव्दा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
15. रूपा बाई पत्नि प्यारचन्द रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला–भीलवाडा राज0
16. रोडी बाई पत्नि कालु रेगर जाति रेंगर उम्म्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
17. लक्ष्मण पुत्र केसू रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
18. लक्ष्मी रेगर पुत्री शम्भु रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

19. लाड देवी पुत्री प्यारचन्द रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
20. शंकर पुत्र नारायण रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
21. सीता पुत्री केसू रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
22. होक्मा पुत्र नारायण रेगर जाति रेंगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. राजु पिता कूका रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. श्रीमान भुमिधारी, जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील–बिजौलियाँ, जिला– भीलवाडा (राज0)

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री सुनील कुमार जोशी – ....अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री परवेज आलम –................अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01
3. पैरोकार सरकार – ... विपक्षी संख्या 02

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 20/11/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता सुनील कुमार जोशी ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थीगण के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम जावदा, पटवार हल्का जावदा,भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां, में खाता संख्या 138 आराजी नं. 137 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, आराजी नं. 138 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी नं. 139 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी नं. 140 रकबा 0. 0405 हैक्टेयर, आराजी नं. 141 रकबा 0.5180 हैक्टेयर, आराजी नं. 142 रकबा 0.6232 हैक्टेयर, आराजी नं. 143 रकबा 0.8013 हैक्टेयर, आराजी नं. 143/1 रकबा 0.0081 हैक्टेयर कुल किता 08 रकबा 2.6143 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए 30 फीट चौड़ा रास्ता जो कि विपक्षीगण की उसी ग्राम की आराजी संख्या 144 रकबा 0.5261 हैक्टेयर भूमि में होता हुआ प्रार्थीगण की आराजीयात में प्रवेश करता हैं। प्रार्थीगण कई वर्षो से निरन्तर इसी रास्ते को उपयोग उपभोग कर प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही है। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात है रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने–जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, विपक्षीगण ने **उक्त** रास्ते को अवरूद्ध कर दिया हैं। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थीगण को विपक्षीगण की उक्त आराजियात पर स्थित 30 फीट चौडे रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा को तैयार है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2075–2078 ग्राम जावदा एवं नक्शा ट्रैस उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 30.07.2024 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता परवेज आलम ने अधिकार पत्र पेश किया।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर पत्रांक/रीडर/2025/1346 दिनांक 20.06.2025 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण/मौका रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/1269 दिनांक 30.07.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि :– भू0अ0नि0 बिजौलियां खुर्द एवं पटवारी हल्का जावदा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगणों की शामलाती भूमि ग्राम जावदा के आराजी नं0 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143/1 किता 8 रकबा 2.6143 है0 भूमि दर्ज रेकॉर्ड खातेदारी से हैं। उक्त आराजीयात में आने जाने के लिए रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है प्रार्थीगण उक्त आराजीयात् में आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि आ0नं0 144 रकबा 0.5261 हैक्टेयर भूमि में से 30 फीट चौड़ा रास्ता संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं। आ0नं0 144 से पहले चरागाह आराजी नं0 772/145 रकबा 8.7169 है0 दर्ज रेकॉर्ड हैं। प्रार्थीगणों द्वारा चाहे गये 30 फीट रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। जो निम्नानुसार हैं। आ0नं0 144 कुल रकबा 0.5261 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0421 हैक्टेयर भूमि।

उपरोक्त प्रस्तावित आराजी खनिज संभावित/ स्वीकृत खनन क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। आबादी से 390 मीटर की दूरी पर तथा NH, SH से 01 कि0मी0 से अधिक की दूरी पर स्थित हैं।

ग्राम जावदा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 144 रकबा 0.5261 हैक्टेयर में से रकबा 0.0421 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी. दर 587200/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 24722/– रूपये का दुगुना से 49444/– रूपये राशि बनती है। अतः मौका रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस की प्रति सलंग्न की है।

तहसीलदार बिजौलियां ने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रैस पेश किया। अधिवक्ता विपक्षीगण सं0 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उक्तानुसार भूमि में 30 फीट रास्ता दिये जाने बाबत अंकन किया है जो विपक्षीगण सं0 1 को स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु 15 फीट रास्ता ही पर्याप्त होना बताया हैं। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में पहुंच मार्ग रास्ते हेतु 15 फीट रास्ता रास्ता प्रस्तावित करने पर ग्राम जावदा आराजी नं० 144 रकबा 0.5261 हैक्टेयर में से 30 फीट रास्ते का रकबा 0.0421 हैक्टेयर भूमि का आधा (1/2) अर्थात रकबा 0.0210 हैक्टेयर भूमि में रास्ता दिये जाने योग्य हैं। जिसकी राशि 49444/- रूपयों का आधा (1/2) राशि 24722/- रूपये बनते हैं। अतः 15 फीट रास्ते हेतु आदेश पारित किए जाते हैं कि

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** ...र्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम जावदा, पटवार ...ग्राम जावदा, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियों खुर्द, तहसील बिजौलियां, में खाता संख्या 138 आराजी ...नं. 137 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, आराजी नं. 138 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी नं. 139 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी नं. 140 रकबा 0. 0405 हैक्टेयर, आराजी नं. 141 रकबा 0.5180 हैक्टेयर, आराजी नं. 142 रकबा 0.6232 हैक्टेयर, आराजी नं. 143 रकबा 0.8013 हैक्टेयर, आराजी नं. 143/1 रकबा 0.0081 हैक्टेयर ...ल किता 08 रकबा 2.6143 हैक्टेयर भूमि में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने ...के लिए 15 रास्ते हेतु विपक्षी संख्या 1 की ग्राम जावदा की आराजी नम्बर 144 रकबा 0.5261 हैक्टेयर में से रकबा 0.0210 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज ...करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम जावदा की 15 रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 144 रकबा 0.5261 हैक्टेयर में ...रकबा 0.0421 हैक्टेयर भूमि की राशि 24722/- रूपये बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य ...है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित ...किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक २० / ११ /2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर ...लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां